जिलाधिकारी, मधेपुरा एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा दिनांक 04-12-2015 को आयोजित मधेपुरा जिला में पेट्रोल पम्प की सुरक्षा / सभी बैंकों की सुरक्षा/ जिले के व्यवसायी संघ की सुरक्षा एवं जिले के अधीन भूमि विवाद /साम्प्रदायिक विवाद आदि की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी /व्यवसायी संघ के अध्यक्षों /पेट्रोल पम्प के मालिकों को /अन्य आमंत्रित सदस्यों वो उपस्थित लोगों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस बैठक में जिला के पेट्रोल पम्प की सुरक्षा /जिले में अवस्थित सभी बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था /जिले के व्यवसायी संघ की सुरक्षा के संबंध में वार्त्ता एवं उसका निदान तथा जिले के अधीन भूमि विवाद /साम्प्रदायिक विवाद आदि की समीक्षा एवं विचार विनिमय हेतु यह यह बैठक बुलायी गयी है। सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से बैठक में वार्त्ता की गयी। विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) पेट्रोल पम्प की सुरक्षा :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित पेट्रोल पम्प मालिकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि यदि किसी पेट्रोल पम्प मालिक को कोई समस्या हो तो वे बतावें। तदोपरान्त बैठक में उपस्थित शंकरपुर के पेट्रोल पम्प मालिक ने बताया कि उनके यहाँ सबसे अधिक बैंक तक कैश ले जाने की समस्या है। कैश जमा करने में विलंब होने से सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा उन्हें कहा गया कि अधिक राशि बैंक ले जाने के पूर्व संबंधित थानाध्यक्ष को सूचित करें ताकि उनके द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जा सके। सभी पेट्रोल पम्प के अन्दर तथा बाहर अच्छी गुणवता वाला 4 पिक्सल का CCTV Camera with Night Vision, पेट्रोल पम्प के मालिक लगवाना सुनिश्चित करें।

(2) Heavy Transaction में सुरक्षा प्रदान करना :-

- पेट्रोल पम्प मालिक /अध्यक्ष, व्यापार संघ द्वारा बताया गया कि बैंकों से Heavy Transaction में कठिनाई होती है, क्योंकि बैंक द्वारा पैन कार्ड के अतिरिक्त कई प्रकार के कागजात की मांग की जाती है, जिसके कारण विलंब होता है। राशि बैंक तक ले जाने में भी सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बैठक में उपस्थित व्यवसायी संघ के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि सिमराही में यह समस्या है, जहां कम राशि निकालने में भी पैन कार्ड की मांग की जाती है। अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सिमराही सुपौल जिला में पड़ता है, इसलिए इस संबंध में कोई कार्रवाई उनके स्तर से नहीं की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बैंक से अधिक राशि निकालने हेतु जिन-जिन कागजातों की आवश्यकता हो, उसका पूर्ण ब्यौरा तैयार कर बैंक के सूचनापट्ट पर सटवा दिया जाए, ताकि आम जनता को इसकी जानकारी हो सके।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा बैंक शाखा प्रबंधकों को कहा गया कि जिस समय कोई बड़े व्यवसायी /कर्मी, बैंक से राशि निकालने आते हैं, तो संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को सूचित कर

दिया जाए, ताकि संबंधित थाना प्रभारी उसे समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचाने की ठोस व्यवस्था कर सके। यह सुरक्षा व्यवस्था पेट्रोल पम्प वालों को भी दी जाएगी। यदि कोई व्यवसायी बड़ी राशि बैंक में जमा करने में सुरक्षा चाहते हों तो वे भी सम्बन्धित थाना प्रभारी को स्वयं समय पर सूचित कर दें। थाना प्रभारी सुरक्षा प्रदान करेंगे। व्यवसायी थाना प्रभारी के अतिरिक्त अन्य किसी कर्मी यथा चौकीदार आदि को सूचना न दें।

(3) सी0सी0टी0भी0 :-

➢ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि पेट्रोल पम्प एवं बैंक के पास जो सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगा रहता है, उसे 24x7 घंटे कार्यरत रहने की आवश्यकता है। यह भी बताया गया कि अपने-अपने प्रतिष्ठान के अंदर एवं बाहर दोनों जगह सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगावें। जिलाधिकारी द्वारा अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि वैसे बैंक /प्रतिष्ठान, जहां सी0सी0टी0भी0 कैमरा नहीं लगा है, वहां 15 दिनों के अन्दर 4 पिक्सल का CCTV Camera with Night Vision लगवाना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक द्वारा सुझाव दिया गया कि सी0सी0टी0भी0 कैमरा अच्छी गुणवत्ता का हो, इसे देखने की आवश्यकता है। Stored मेमोरी को ज्यादा से ज्यादा दिन अर्थात 3 माह तक रख सकते हैं, उसके बाद डिलिट किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में चाईनिज कैमरा नहीं लगावें, क्योंकि उसका फुटेज सही नहीं रहता है। यदि किसी बैंक /प्रतिष्ठान में चाईनिज कैमरा लगा हुआ पाया गया, तो संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

➢ मधेपुरा थाना के थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, मेन ब्रांच, मधेपुरा का सी0सी0टी0भी0 कैमरा का फुटेज क्लियर नहीं आता है तथा मुख्य गेट के बाहर का सी0सी0टी0भी0 कैमरा भी खराब है। अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि संबंधित शाखा प्रबंधक को अविलम्ब सूचित करें कि अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0भी0 कैमरा बैंक के अंदर एवं बाहर लगावें।

➢ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी बैंकों के प्रबंधकों को निदेशित किया गया कि सभी बैंकों में सी0सी0टी0भी0 कैमरा अधिष्ठापित करावें तथा एक जिम्मेदार व्यक्ति को उसका अनुश्रवण हेतु प्रतिनियुक्त करें, जिनके द्वारा जाँच की जायेगी कि कैमरा सही ढंग से कार्य कर रहा है अथवा नहीं, के संबंध में जानकारी प्राप्त कर खराब सी0सी0टी0भी0 की मरम्मति करवाना सुनिश्चित करेंगे।

➢ जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुरोध किया गया कि पुलिस अधीक्षक CCTV Camera अधिष्ठापन एवं उसके Footage के अध्ययन के अनुश्रवण का जिम्मा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सौंपे ताकि इसकी Monitoring प्रभावी ढंग से हो और Crime पर नियंत्रण किया जा सके।

(4) गश्ती कार्य :-

जिला पदाधिकारी की पृच्छा पर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सभी इलाके में दो पार्टी गश्ती करती हैं। साथ ही जिस समय ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है अर्थात् 09:00 बजे पूर्वा0 से 02:00 बजे अप0 के बीच पुलिस द्वारा ज्यादा चौकसी बरती जाती है एवं नगर क्षेत्र में मोटर साईकिल कमान्डो द्वारा भी गश्ती की जाती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बैंक प्रबंधक अपने-अपने बैंक /प्रतिष्ठान में एक-एक पंजी संधारित करें, जिसमें गश्ती दल अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सके। इसके साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था के निमित्त संबंधित थाना में अपने-अपने बैंक /प्रतिष्ठानों का मोबाईल /दूरभाष नम्बर सहित अवश्य लिखा दें, ताकि किसी भी आपात् स्थिति में आपके द्वारा संबंधित थाना को सूचित करने पर उचित सुरक्षा का प्रबन्ध किया जा सके। सभी बैंक अपने बैंक भवन के सामने DM /SP /S.D.P.O / Dy. S.P /SHO का दूरभाष एवं मोबाईल

नम्बर एक बोर्ड पर साफ-साफ बड़े अक्षरों में अंकित करा दें ताकि आवश्यकता पड़ने पर ग्राहक /आमजनता उसका इस्तेमाल कर सकें।

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह क्राईम मिटिंग में मासिक समीक्षा की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर उसमें बैंक कर्मी को भी बुलाया जा सकता है। L.D.M ने जानकारी दी कि बैंकों में पंजी संधारित है। अन्य सुझावों पर अमल किया जायगा।

(5) बैंक सुरक्षा गार्ड :-

➢ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बैंक में लगाये गये सुरक्षा गार्ड /निजी सुरक्षा कर्मी के चरित्र का सत्यापन वांछनीय है कि वे पहले कहाँ काम करते थे। वहाँ पर उनका चरित्र कैसा था, वे किस गाँव के रहने वाले हैं तथा वहाँ के स्थानीय थाना में कोई मामला तो नहीं चला था।

➢ पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कहीं-कहीं निजी सुरक्षा कर्मी को बैंक द्वारा लगाया जाता है एवं ए0टी0एम0 मशीन के पास प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कदापि उचित नहीं हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी बताया गया कि बहुत सारे बैंकों के द्वारा ए0टी0एम0 मशीन के पास सुरक्षा कर्मी को तैनात नहीं किया जाता है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं हैं। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा इसे सुनिश्चित करायें। साथ ही अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निदेशित किया गया कि ऐसे सभी बैंक, जिन्होंने /ए0टी0एम0 मशीन के पास सुरक्षा गार्ड को तैनात नहीं किया है, उनकी सूची उपलब्ध करावें, ताकि उस बैंक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

➢ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि किसी-किसी बैंक में सुरक्षा गार्ड से ही लाईन लगवाया जाता है तथा फॉर्म भरवाया जाता है, जिसके कारण सुरक्षा गार्ड का ध्यान दूसरे तरफ आकृष्ट हो जाता है, फलस्वरुप सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो जाती है। बताया गया कि मुख्यालय स्तर से निदेश प्राप्त हुआ है कि सुरक्षा गार्ड से कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाए।

➢ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि यदि किसी बैंक द्वारा 05:00 बजे अप0 या देर संध्या तक बैंक को खोल कर कार्य किया जाता है, तो वे अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित थाना को दें, ताकि बीच-बीच में थाना द्वारा गश्ती कर सुरक्षा व्यवस्था कायम रखी जा सके।

➢ सायरन :- पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कुछ बैंकों में सायरन के खराब रहने के कारण उसका इस्तेमाल किसी भी आपात् स्थिति में नहीं हो पाता है, अतएव सभी सायरन को ठीक कराना वांछनीय है। सभी बैंक /थानाध्यक्षों को निदेशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 05-12-2015 को बैंक की जांच कर लेंगे कि सायरन ठीक है अथवा नहीं तथा प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

➢ अपर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि बभनी के बैंक में एक घटना घटी थी, जिसकी जांच के क्रम में पाया गया कि घटना के एक दिन पूर्व CCTV Camera का लाईन काट दिया गया तथा वहां का सायरन भी खराब था। अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि संबंधित बैंक कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

➢ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निदेशित किया गया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत बैंकों में किसी भी समय सादे लिबास में घूमें तथा वैसे संदिग्ध व्यक्ति, जो बैंक में रोज आते हैं,

लेकिन किसी प्रकार का ट्रांजक्शन नहीं करते हैं, उस पर पैनी निगाह रखें तथा संदेहास्पद मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करें।

➢ पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निदेशित किया गया कि बैंकों के सामने खड़ी वैसे वाहनों की सघन जांच करें, जो बिना नम्बर का हो, उसके कागजात की जांच कर उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

(6) बैंक डैकती की रोकथाम :-

उपर्युक्त सारे निदेशों का विस्तृत उल्लेख पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के ज्ञापांक 7518/एक्स0एल0 दिनांक 02-12-2015 में है, जिसके द्वारा बैंक डैकती की रोकथाम के संबंध में प्राप्त निम्नांकित दिशा निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश बैठक में उपस्थित थानाध्यक्ष /ओ0पी0अध्यक्ष को दिया गया :-

➢ सभी थाना /ओ0पी0 क्षेत्रों में अवस्थित बैंकों की सुरक्षा के लिए नियमित गश्ती पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है। गश्ती दल के पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ बैंक के अन्दर जाकर चेकिंग करेंगे। बैंक लूट /डकैती की घटनाएं अधिकांशतः बैंक खुलने के समय ही होती है। उस वक्त बैंक मैनेजर, कैशियर के अलावे इक्का-दुक्का ग्राहक रहते हैं, जिससे अपराधी उक्त लोगों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। इन तथ्यों के मद्देजनर पुलिस गश्त बैंक खुलने से एक घण्टा पूर्व यानि प्रातः 09:00 बजे से 14:00 बजे तक करना श्रेयस्कर होगा।

➢ थाना के गश्ती दल के कार्यों का मूल्यांकन /नजदीकी नजर रखने के लिए प्रत्येक बैंक में एक गश्ती पंजी संधारित करना आवश्यक है जिसमें गश्ती दल के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा चेकिंग के दौरान पायी गई कमियों /त्रुटियों का उल्लेख करते हुए निराकरण का सुझाव के साथ अपना आमद-प्रस्थान दर्ज कर सके। इस पंजी का सप्ताह में एक बार अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी /थानाध्यक्ष तथा औचक रूप से कभी भी पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन करना चाहिए ताकि गश्ती दल की कार्य शैली की समीक्षा तथा उनपर नियंत्रण रखने में सहुलियत हो सके।

➢ प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 09:00 बजे से 15:00 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने-अपने थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग विशेषकर दुपहिया वाहनों की सघन जाँच आवश्यक है। चेकिंग के दौरान बजुर्ग एवं महिला को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाय। प्रमुख चौक, चौराहों पर थाना के पदाधिकारी /पुलिसकर्मी की तैनाती सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि असमाजिक तत्वों /अपराधियों की गतिविधि पर सतत निगरानी रखी जा सके।

➢ प्रत्येक थाना क्षेत्र में अवस्थित बैंकों की सूची, प्रबंधक का नाम, उनके मोबाईल नम्बर सहित थानाध्यक्ष के कार्यालय में रहना आवश्यक है ताकि समय-समय पर उनसे सम्पर्क में रहा जा सके। बैंक के अगल-बगल के प्रबुद्ध नागरिकों /दुकानदारों का भी संपर्क नम्बर रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे सहयोग /जानकारी प्राप्त की जा सके।

➢ प्रत्येक थाना क्षेत्र में अवस्थित बैंकों के प्रबंधक के साथ थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी के साथ मासिक बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के विन्दु पर विचार-विमर्श कर तद्नुसार सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा सके।

➢ प्रत्येक बैंक के मैनेजर /प्रबंधक को इस बात का निदेश दिया जाना चाहिए कि जिस दिन Heavy Transaction होना हो उसकी सूचना निश्चित रूप से पुलिस अधीक्षक /अनुमण्डल पुलिस

पदाधिकारी /थानाध्यक्ष को रहनी चाहिए ताकि तद्नुसार पर्याप्त संस्था में बलों की प्रतिनियुक्ति की जा सके। बैंक में निर्धारित सीमा से अधिक राशि नहीं रखा जाय।

➢ बैंक के निजी सुरक्षा गार्ड का नैतिक चरित्र एवं स्वास्थ्य उत्तम कोटि का तथा धारित शस्त्र कारगर एवं लोडेड स्थिति में पर्याप्त कारतूस के साथ उपलब्ध रहना चाहिए। बैंक के सुरक्षा गार्ड को अपने शस्त्र को जंजीर के सहारे कमर में बंधे बेल्ट में रखा जाना चाहिए तथा उन्हें सतर्क रहना चाहिए। बैंक के अनुबंध के आधार (Contractual Basis) पर अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों का भी चरित्र सत्यापन किया जाय।

➢ कतिपय बैकों के प्रबंधक द्वारा बैंक के निजी सुरक्षा गार्ड से बैंक का कार्य यथा पर्ची बाँटना, फार्म भरवाना, रजिस्टर सर्टिफिर्केट इस टेबल से उस टेबल पर पहुँचाना तथा ग्राहकों को समझाने आदि का कार्य लिया जाता है ऐसे कार्यों पर तत्काल विराम लगाने की आवश्यकता है। इस हेतु मासिक बैठक के दौरान बैंक के प्रबंधक को स्पष्ट हिदायतें दी जानी चाहिए।

➢ प्रायः यह भी पाया जाता है कि कतिपय बैंक के अधिकारी /कर्मी अवकाश के दिनों में अथवा कार्य अवधि के बाद देर संध्या /रात्रि तक अपना लंबित कार्य निबटाते हैं। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखी जाती है। यदि अवकाश के दिनों में अथवा कार्य दिवस के पश्चात् बैंक खोलने की आवश्यकता आ पड़े तो संबंधित प्रबंधक को थानाध्यक्ष को सूचना देकर बलों की व्यवस्था करा लेना सुरक्षा के दृष्टिकोण से श्रेयस्कर होगा।

➢ बैंक का सायरन सही एवं कारगर हालत में रहना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में उससे मदद ली जा सके।

➢ सुरक्षा व्यवस्था की जाँच के लिए समय-समय पर मॉक-ड्रील का भी आयोजन करना चाहिए जिससे कि पुलिस /प्रशासन /स्थानीय नागरिकों की सतर्कता की जाँच हो सके।

➢ बैंक खुलने से पूर्व बैंक के अगल-बगल चाय पान की दुकान आदि पर सादे लिबास में सधारण बल /चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति रखनी चाहिए ताकि वहाँ की हर संदिग्ध गतिविधि पत्र निगरानी रखने में सहुलियत हो सके।

➢ प्रत्येक बैंक के अन्दर एवं बाहर साईनबार्ड लटका रहना चाहिए जिस पर कि थाना, थानाध्यक्ष, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी आदि का संपर्क नम्बर अंकित रहे।

➢ प्रत्येक बैंक में असमाजिक तत्वों /अपराधियों की गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने हेतु सी0सी0टी0वी0 की व्यवस्था तथा उसके अनुश्रवण हेतु एक जिम्मेवार अधिकारी के अधीन नियंत्रण कक्ष कार्यरत रखने की व्यवस्था करनी चाहिए।

➢ विगत तीन वर्षो के बैंक /कैश लूट के कांडों में आरोपित का भौतिक सत्यापन किया जाय तथा फरार रहने की स्थिति में विधि-सम्मत कार्रवाई की जाय।

➢ आसूचना संग्रहण के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(7) भूमि विवाद /साम्प्रदायिक विवाद :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक मंगलवार को संबंधित थानाध्यक्ष तथा अंचलाधिकारी के द्वारा अंचल स्तर पर भूमि विवाद के निपटारा हेतु बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में सभी अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष उपस्थित हैं। यदि किसी भी अंचल में भूमि विवाद की कोई बड़ी समस्या हो तो बारी-बारी से अवगत करावें। चौसा के थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में भूमि विवाद के कारण मार-पीट हुई थी, जिसे समझा-बुझा कर मामला का निपटारा कर दिया गया है।

इसी प्रकार आलमनगर के अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में गनौल में बटाईदार एवं भूधारी के बीच का एक मामला है, जो लंबित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि भूहदबन्दी से संबंधित यह मामला अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के न्यायालय में लंबित है। अभिलेख की खोज कराई गई। अभिलेख स्थानभ्रष्ट हो गया है। लेकिन उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के कार्यालय में है। अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज मामले की सुनवाई कर उसका निष्पादन कर सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज ने बताया कि मामला अब निष्पादन के निकट है। अतिशीघ्र वे जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले हैं।

जिला पदाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को कहा कि पुरैनी प्रखंड परिसर में सरकारी भवन निर्माण में जो भूमि विवाद कुछ सहनी परिवारों के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा था, उसके निराकरण हेतु उन सहनी परिवार के सदस्यों के नाम से दर्ज अवैध जमाबदी को रद्द कर उसकी सूचना दी जा चुकी है। अतः यदि अब उनलोगों के द्वारा भवन निर्माण में बाधा पहुँचाई जाती है, तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करें। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा ने Monday Meeting में बताया है कि अभी भी सहनी परिवार भवन निर्माण रोक रहे हैं। अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज ने बताया कि वे सारे तथ्यों से अवगत हैं तथा भवन निर्माण के कार्य में आ रही बाधा को दूर करने में वे हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही शेष अन्य अंचलाधिकारी /थानाध्यक्षों द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्रान्तर्गत भूमि विवाद से संबंधित कोई बड़ी समस्या नहीं हैं।

(8) कब्रिस्तान घेराबंदी :-

जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष को कहा गया कि कोई कब्रिस्तान, जो संवेदनशील /अतिसंवेदनशील है तथा उसकी घेराबंदी कराना आवश्यक है, तो उनकी सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर, मौजा, थाना नम्बर, खाता, खेसरा, क्षेत्रफल जमीन की चौहद्दी आदि के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उक्त सूची को जिलाधिकारी /पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त विभाग को भेज कर उन कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हेतु, आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(9) अन्यान्य :-

- पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि प्रशासन एवं पुलिस की तरफ से बहुत मेहनत की जाती है। फिर भी जनता तक उसकी सूचना नहीं पहुंच पाती है। इसलिए मीडिया को अवश्य सूचित करें। बताया गया कि जो भी अच्छा काम किया जाता है, उसकी जानकारी मीडिया को दी जाए, ताकि जनता में यह जानकारी पहुंच सके। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जो भी कार्य करें, वे जनता के कल्याण के लिए हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए, ताकि एक अच्छा वातावरण पैदा हो सके।

जिला पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि जनकल्याण में किये गये कार्यो की जानकारी मीडिया को जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेन्स में दी जाती है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

7/12/15

पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

7/12/2015